रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2019/अग्रहायण 28, 1941
No. 392] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2019/AGRAHAYANA 28, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2019

सं. आरटी-25043/03/2017-आरएस.—पूर्व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए एतद्द्वारा सड़क प्रयोकर्ताओं के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रत्येक जिले में जिले से माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) की अध्यक्षता में संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। यदि जिले में एक से अधिक संसद सदस्य (सांसद) हैं, तो सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य समिति का अध्यक्ष होगा। जिले में निवास करने वाले माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: -

i. जिला कलेक्टर - सदस्य सचिव
ii. पुलिस अधीक्षक
iii. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
iv. नगर निगम या विकास प्राधिकरण के मेयर/अध्यक्ष
v. जिले के सभी विधान सभा सदस्य (एमएलए)
vi. जिलों के सभी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट
vii. अध्यक्ष द्वारा नामित 3 गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)
viii. स्टेक होल्डर विभागों, संस्थानों और ऑटोमोबाइल डीलरों के जिला स्तरीय अधिकारी (डीएलओ)
ix. ट्रेड एसोसिएशन का प्रतिनिधि
x. जिला सिविल सर्जन
xi. जिला शिक्षा अधिकारी
xii. जिले में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के वरिष्ठ अधिकारी

xiii. जिले के लिए पीडब्ल्यूडी का राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन का प्रभारी अधिकारी

xiv. जिले के लिए एनएचएआई का प्रभारी अधिकारी

xv. जिला मुख्यालय से परिवहन विभाग से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ)/सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ)

2. जिला सड़क सुरक्षा समिति के विचारार्थ मुद्दें निम्नानुसार होंगे: -

(i) जिले में सड़क सुरक्षा क्रिया-कलापों की निगरानी

(ii) सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की निगरानी

(iii) सड़क दुर्घटना के कारणों को पहचानना और उसका अध्ययन

(iv) राष्ट्रीय/राज्यों सड़क सुरक्षा परिषद को सुझाव प्रदान करना

(v) प्रोटोकॉल के अनुसार ब्लैक स्पॉटों की पहचान तथा सुधार से संबंधित कार्य की समीक्षा और निगरानी तथा सभी सड़क इंजीनियरिंग उपाय

(vi) सड़क सुरक्षा मानकों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना

(vii) दुर्घटना/घातकता में कमी लाने के लिए विशिष्ट लक्ष्यों के साथ जिले के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना तैयार करना तथा उसका क्रियान्वयन करना

(viii) 4-ई के कार्य अर्थात शिक्षा, प्रवर्तन, आपातकालीन देखभाल और इंजीनियरिंग के क्रियान्वयन पर चर्चा करना और उन्हें कारगर बनाना

(ix) गति सीमा और यातायात को सुचारू बनाने के उपायों की समीक्षा करना

(x) जिले में नेक व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए कार्य-नीतियां बनाना

(xi) नगर/शहर तथा जिले में ग्राम पंचायत में यातायात पार्क-सह-प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना

(xii) जिले में सड़क सुरक्षा अभियान को बढ़ावा देना

(xiii) सड़क सुरक्षा से संबंधित किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा करना

3. समिति एक तिमाही में कम-से-कम एक बैठक या ऐसी आवृत्ति पर बैठक करेगी जैसा कि वह तय कर सकती है। पिछले बैठकों के निर्णयों पर की गई कार्रवाई के साथ बैठक का कार्यवृत्त पुलिस महानिदेशक और राज्य के परिवहन आयुक्त को भेजा जाएगा। इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

4. इसे माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने अनुमोदित कर दिया है।

अभय दामले, संयुक्त सचिव (परिवहन)

नोट: पूर्ववर्ती अधिसूचनाएं (i) आरटी-25043/03/2017-आरएस दिनांकित 28 सितंबर, 2017

(ii) आरटी-25043/03/2017-आरएस दिनांकित 30 अगस्त, 2019

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2019

No. RT-25043/03/2017-RS.—In supersession of earlier notifications, **Member of Parliaments' Road Safety Committee** is hereby constituted in each district of the country to promote awareness amongst road users under the chairmanship of Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha) from the district. If the district has more than one Member of Parliament (M.P.), then the senior most M.P. would be the Chairman of the Committee. The Hon'ble Member of Parliament (Rajya Sabha), residing in the district, shall be special invitee. The Committee shall comprise of following members: -

i. District Collector – Member Secretary

ii. Superintendent of Police

iii. Chief Executive Officer, Zila Parishad

iv. Mayor/Chairman of the Municipal Corporation or Development Authority

v. All Members of Legislative Assembly (MLA) of District

vi. All Sub Divisional Magistrate of Districts

vii. 3 Non-Government Organization (NGO) as nominated by Chairman

viii. District Level Officer (DLO) of Stake Holder Departments, Institutions and Automobile Dealers

ix. Representative of Trade Association

x. District Civil Surgeon

xi. District Education Officer

xii. Senior most officer of Public Works Department (PWD) in the district

xiii. Officer-in-Charge of National Highways Division of PWD for the district

xiv. Officer-in-Charge of NHAI for the District

xv. Regional Transport Officer (RTO)/Assistant Regional Transport Officer (ARTO) from the Transport Department from district Head Quarter

2. The terms of reference of the District Road Safety Committee shall be as under: -

(i) Monitoring of road safety activities in the district

(ii) Monitoring of road accidents data

(iii) Identification and study of causes of road accidents

(iv) To provide suggestions to the National/States Road Safety Council

(v) Reviewing and monitoring of the work relating to identification & rectification of black spots as per protocol and all road engineering measures

(vi) Ensuring implementation of road safety standards

(vii) Create and implement road safety action plan for the district with specific targets for accident/fatality reduction

(viii) To discuss and strengthen the implementation of 4 E's Programme i.e. Education, Enforcement, Emergency care and Engineering

(ix) Reviewing of the speed limits and traffic calming measures

(x) Formulation of strategies to motivate Good Samaritans in the district

(xi) Establishment of traffic park-cum-training centre at town/city and Gram Panchayat in a district

(xii) Promoting road safety campaign in the District

(xiii) To discuss any other issue related to road safety

3. The Committee will meet at least once in a quarter or at such frequency as it may decide. Minutes of the meeting along with action taken on the decisions of the previous meetings shall be sent to the Director

General of Police and Transport Commissioner of the State. The same shall also be uploaded on the website of the Ministry of Road Transport and Highways.

4. This issues with the approval of Hon'ble Minister of Road Transport and Highways.

ABHAY DAMLE, Jt. Secy. (Transport)

Note: Earlier Notifications (i) RT-25043/03/2017-RS dated 28th September, 2017

(ii) RT-25043/03/2017-RS dated 30th August, 2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA